संख्या-12/2026/I/1217956 /2026/001-88-1099/30/2021

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27.01.2026

विषय:-गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के विस्तारीकरण/निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ0एस0डी0ए0/मं0प्रयो0नि0-गोरखपुर/225/2025-26/299, दिनांक 21.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के विस्तारीकरण/निर्माण हेतु परियोजना लागत की अवशेष धनराशि रुपये 112.267 लाख को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि गोरखपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के विस्तारीकरण/निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-37/2021/1/98330/2021/88-1099/30/2021, दिनांक 16.09.2021 द्वारा रुपये 22,45,17,000.00 (बाइस करोड़ पैंतालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 5,61,29,000.00 (पांच करोड़ इकसठ लाख उन्तीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-45/2022/I/197658/2022/88-1099/30/2021, दिनांक 03.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रुपये 5,61,29,000.00 (पांच करोड़ इकसठ लाख उन्तीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-12/2023/1/274832/2023/002-88-1099-30-2021, दिनांक 14.02.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रुपये 1,03,41,000.00 (एक करोड़ तीन लाख इकतालीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-35/2023/1/309532/2023/001-88-1099-30-2021, दिनांक 28.04.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रुपये 5,61,29,000.00 (पांच करोड़ इकसठ लाख उन्तीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-74/2023/1/367226/2023/002/88-1099/30/2021, दिनांक 11.08.2023 द्वारा पांचवीं किश्त के रूप में धनराशि रुपये 2,33,37,300.00 (दो करोड़ तैंतीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ मात्र) तथा शासनादेश संख्या-87/2023/1/425917/2023/003/88-1099/30/2021 दिनांक 09.11.2023 द्वारा छठीं किश्त के रूप में धनराशि रुपये 1,12,25,000.00 (एक करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना की पूर्व स्वीकृत लागत रुपये 2245.17 लाख (रुपये बाइस करोड़ पैंतालीस लाख सत्रह हजार मात्र) को पुनरीक्षित करते हुए शासनादेश संख्या-13/2024/1/515640/2024/005-88-1099/30/2021, दिनांक 11.03.2024 द्वारा पुनरीक्षित लागत रुपये 2443.63 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 198.46 लाख को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखा जा चुका है। इस प्रकार उक्त परियोजना हेतु रुपये 2331.363 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर में क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के विस्तारीकरण/निर्माण हेतु अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 112.267 लाख (रुपये एक करोड़ बारह लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते

http://shasanadesh.up.gov.in

हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1753 (ए)/अट्ठासी-2022, दिनांक 23.09.2022 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-37/2021/1/98330/2021/88-1099/30/2021, दिनांक 16.09.2021, शासनादेश संख्या-45/2022/1/197658/2022/88-1099/30/2021. दिनांक 03.08.2022, शासनादेश संख्या-12/2023/1/274832/2023/002-88-1099-30-2021, दिनांक 14.02.2023, शासनादेश संख्या-35/2023/1/274832/2023/001-88-1099-30-2021, दिनांक 28.04.2023, शासनादेश संख्या-74/2023/1/367226/2023/002/88-1099/30/2021, दिनांक 11.08.2023, शासनादेश संख्या-87/2023/1/425917/2023/003/88-1099/30/2021, दिनांक 09.11.2023 तथा शासनादेश संख्या-13/2024/1/515640/2024/005-88-1099/30/2021, दिनांक 11.03.2024 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु दिशा-निर्देश विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,12,26,700 (रूपये एक करोड़ बारह लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-036 के लेखाशीर्षक 4210041070300 राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्या-12/2026/1/1217956/2026/001-88-1099/30/2021, तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

5- वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०सिडको, लखनऊ।

7- अधिशासी अभियन्ता, यू०पी० सिडको, गोरखपुर।

8- सहायक आयुक्त (खाद्य), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **http://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अभिजित
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **http://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है ।